रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274934
CG-DL-E-29072026-274934

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948
No. 606]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

[भारतीय कंप्युटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट –इन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 668(अ).— केन्द्रीय सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (यङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल में ज्येष्ठ सचिवालय सहायक और कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (ज्येष्ठ सचिवालय सहायक और कनिष्ठ सचिवालय सहायक) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है या विवाह कि संविदा की है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

7. सेवा की अन्य शर्तें- भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें, जिसके लिए कोई विशिष्ट उपबंध उपबंधित नहीं किया गया है, को ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की समान श्रेणी या स्तर पर लागू होगा।

अनुसूची

पद का **नाम**	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. ज्येष्ठ सचिवालय सहायक	04* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ग' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25,500-रु.81,100/-)	गैर-चयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के हेतु विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगे या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशत ।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा **चालीस वर्ष** तक शिथिल की जा सकेगी।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो) असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले का पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	**आवश्यक अहर्ताएं :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक उपाधि; (ii) **कौशल परीक्षा-** कंप्यूटर पर अंग्रेजी में **35 शब्द प्रति मिनट** या हिंदी में **30 शब्द प्रति मिनट** की टंकण गति। (अंग्रेजी में **पैंतीस** शब्द प्रति मिनट की टंकण गति प्रति घंटे दस हजार पांच सौ की की-डिप्रेशन तथा हिंदी में **तीस** शब्द प्रति मिनट की टंकण गति प्रति घंटे नौ हजार की-डिप्रेशन के समतुल्य होगी, जिसकी गणना प्रति शब्द औसतन पाँच की-डिप्रेशन के आधार पर की जाएगी)। **टिप्पण 1**: अहर्ताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** भर्ती के समय अंग्रेजी या हिंदी या दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक होगा। भर्ती के समय अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी का विकल्प प्रदान किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को भर्ती के समय हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो उसे अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना होगा।	**आयु:** लागू नहीं होता। **आवश्यक** अहर्ता: हां, स्तंभ (7) में दर्शाई गई सीमा तक।	सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए या पुनर्नियोज न के लिए **दो वर्ष**। **टिप्पण:** केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु कम-से-कम **दो सप्ताह** की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक होगा।	(i) रिक्तियों के **पच्चीस** प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे; जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन/ पुनर्नियोजन द्वारा। (ii) रिक्तियों के **पचहत्तर** प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रुपये 19900- 63200) में हैं, और उक्त श्रेणी में **आठ वर्ष** की नियमित सेवा की है । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसे द्वारा की गई ऐसे अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुनर्नियोजन :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों, प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वशासी संगांठनों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी- (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रुपये 19900- 63200) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात **आठ वर्ष** की सेवा हो; और **(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक उपाधि **टिप्पण 1** : पोषक श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. महानिदेशक, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल- अध्यक्ष; 2. उप सचिव या समकक्ष अधिकारी भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - सदस्य; 3. भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या कानूनी निकाय से वैज्ञानिक 'डी' स्तर के या समकक्ष अधिकारी- सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) **जिसमें निम्नलिखित होंगे: -** 1. महानिदेशक, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - अध्यक्ष; 2. उप सचिव या समकक्ष अधिकारी भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - सदस्य; 3. भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या कानूनी निकाय से वैज्ञानिक 'डी' स्तर के या समकक्ष अधिकारी- सदस्य।	लागू नहीं होता

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर -बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **छप्पन वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए:** सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो **एक वर्ष** की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिज़र्व में स्थानांतरित किए जाने वाले है और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.कनिष्ठ सचिवालय सहायक	05 * (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ग' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु.19,900 – रु.63,200/-)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में **चालीस वर्ष** तक शिथिल जा सकेगी।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई की अंतिम तारीख होगी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्रीयशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले का पांगी उप-खंड, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और	**आवश्यक अर्हताएँ:** **(i)** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; तथा **(ii) कौशल परीक्षा-** कंप्यूटर पर अंग्रेजी में **35 शब्द प्रति मिनट** या हिंदी में **30 शब्द प्रति मिनट** की टंकण गति। (अंग्रेजी में **पैतीस शब्द** प्रति मिनट की टंकण गति प्रति घंटे दस हजार पांच सौ की की-डिप्रेशन और हिंदी में **तीस शब्द** प्रति मिनट की टंकण गति प्रति घंटे नौ हजार की-डिप्रेशन के समतुल्य होगी, जिसकी गणना प्रति शब्द औसतन पाँच की-डिप्रेशन के आधार पर की जाएगी)। **टिप्पण 1**: अहर्ताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** भर्ती के समय अंग्रेजी या हिंदी या दोनों भाषाओं का ज्ञान होना	लागू नहीं होता	दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम-से-कम **दो सप्ताह** की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक होगा।	सीधी भर्ती द्वारा।

लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यक होगा। भर्ती के समय अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी का विकल्प प्रदान किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को भर्ती के समय हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो उसे अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना होगा।			

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1) महानिदेशक, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल-अध्यक्ष; 2) उप सचिव या समकक्ष अधिकारी, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल -सदस्य; 3) भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या सांविधिक निकाय से वैज्ञानिक 'डी' या समकक्ष अधिकारी-सदस्य।	लागू नहीं

[फा. सं. 01(09)/2025-पी.III]

अमितेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

[Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2026

G.S.R. 668(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ze) of sub-section (2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Secretariat Assistant and Junior Secretariat Assistant in the Indian Computer Emergency Response Team, under the Ministry of Electronics and Information Technology, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Indian Computer Emergency Response Team (Senior Secretariat Assistant and Junior Secretariat Assistant) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazettte.

2.Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4) **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5) **Power to relax**. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6) **Saving**. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7) **Other conditions of service**: - Other conditions of service of the officers and employees of the Indian Computer Emergency Response Team, for which no specific provisions have been provided, shall be regulated in accordance with such rules as are, from time to time, applicable to similar category or level of officers and employees of the Central Government.

Schedule

Name of Post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.Senior Secretariat Assistant.	04*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'C' post in the Central Government.	Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500 - 81100).	Non-selection post.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Methods of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Between 18 to 27 years of age (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	**Essential qualifications:** (i) Bachelor's degree from a recognised university or institute; (ii) Skill test. - A typing speed of thirty	**Age:** Not applicable. **Essential qualification:** Yes, to the extent indicated under column	Two years for direct recruits or in case of re-employment. Note: There shall be a mandatory induction	(i)- Twenty-five percent of vacancies shall be filled by promotion failing which by direct recruitment or by deputation

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer. (thirty-five words per minute correspond to ten thousand five hundred key depression per hour and thirty words per minute correspond to nine thousand key depression per hour on an average of five key depressions for each word) Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Knowledge of English or Hindi or both at the time of recruitment is essential. The option of English or Hindi is given to the candidates at the time or recruitment. If at the time of recruitment a candidate does not have knowledge of Hindi, he shall acquire the same during his probation period.	(7).	training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(including short-term contract) / absorption or re-employment; (ii) Seventy five percent of vacancies shall be filled by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Junior Secretariat Assistant in the level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years of regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. 1.Director General, Indian Computer Emergency Response Team-Chairperson; 2. Deputy Secretary or equivalent Officer of Indian Computer Emergency Response Team - Member; 3. Scientist 'D' level or Equivalent officer from any other Ministry or Department or Statutory body of government of India-Member.	Not applicable.

their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract)/absorption or re-employment:** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or public sector undertakings, autonomous body or statutory organisations, – (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with eight years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent in the parent cadre or Department; and **(b) possessing the following educational qualifications and experience:** Bachelor's degree from a recognised university or institute Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note-2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **For ex-servicemen:** The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Director General, Indian Computer Emergency Response Team-Chairperson; 2. Deputy Secretary or equivalent Officer of Indian Computer Emergency Response Team - Member; 3. Scientist 'D' level or Equivalent officer from any other Ministry or Department or Statutory body of government of India-Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Junior Secretariat Assistant	05*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'C' post in the Central Government	Level 2 in the pay matrix (Rs. 19900 - 63200).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 to 27 years of age. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	**Essential qualifications:** (i) 12th class pass from a recognised board; and ii) Skill test. - A typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer. (thirty-five words per minute correspond to ten thousand five hundred key depression per hour and thirty words per minute correspond to nine thousand key depression per hour on an average of five key depressions for each word) Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Knowledge of English or Hindi or both at the time of recruitment is essential. The option of English or Hindi is given to the candidates at the time or recruitment. If at the time of recruitment, a candidate does not have knowledge of Hindi, he shall acquire the same during his probation period.	Not Applicable	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. .Director General, Indian Computer Emergency Response Team-Chairperson; 2. Deputy Secretary or Equivalent Officer of Indian Computer Emergency Response Team -Member; 3. Scientist 'D' level or Equivalent officer from any other Ministry or Department or Statutory body of government of India-Member.	Not applicable.

[F. No. 01(09)/2025-P.III]

AMITESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA